



सं. ०१०१०१०१ ०१११ ४७७७९८

विक्रय पत्र

विक्रय पत्र अंकन : ४,२०,८१० / रुपये
स्वास्थ्य धेपर अंकन : ४२,१०० रुपये

मैं कि जगन्नाथ पुत्र स्व. श्री भुवनेश्वर निवासी भाग दुखवाई परगना व तहसील
बादरी जिला गौतम बुद्ध नगर (एनटीक अन्तर्गत, विवेकानंद)

मैंने सर्व एल्यूमीनियम प्रमोटरों एक व्यवस्थापन ग्राम लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय ३३ कम्प्यूनिटी सेंटर, एन.
एक, सी नई दिल्ली द्वारा श्री. योगेश्वर शर्मा, पुत्र स्व. श्री. देव आरु शर्मा, एन. सिंग सनसिटी,
गांधीनगर अधिकृत उत्तराखण्ड द्वितीय पत्र (एनटीक दोषम केली)

Sage Promoter

१०१०१०१

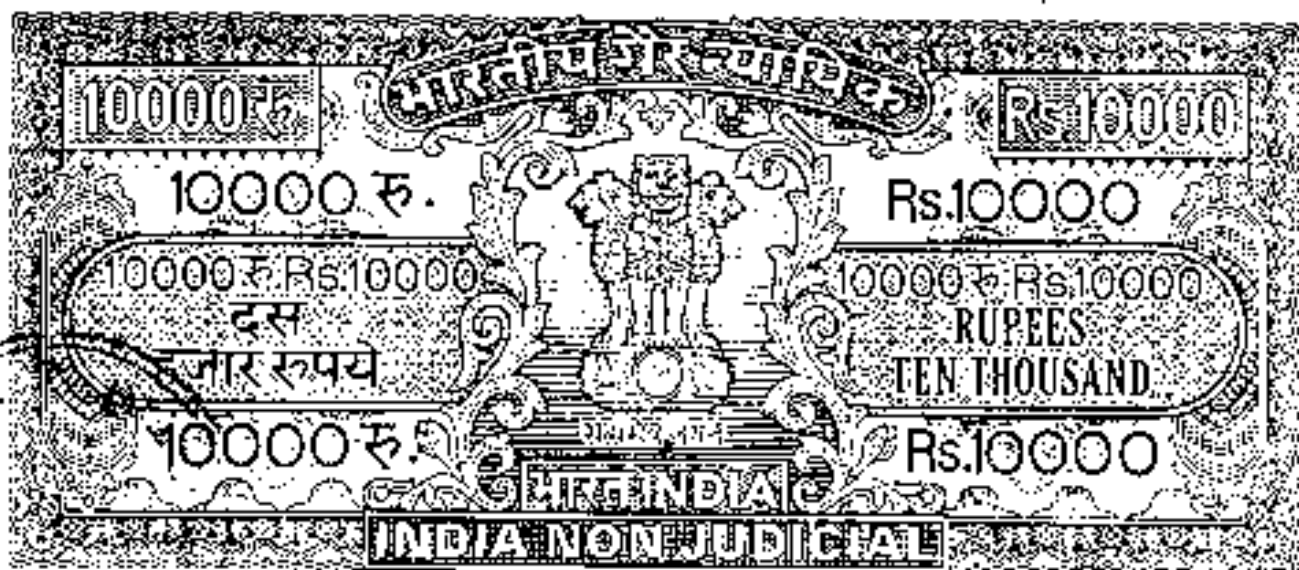
Authorized Signatory



Sage Promoter



Authorized Signatory



01AA 477789

(2)

विक्रीत भूमि का विवरण

(1) स्थित ग्राम दुरयाई परगना व तहसील दादरी जिला गौतम बुद्ध नगर (उप्र), कृषि भूमि खातः नं० 50 के खसरा नं० 111क एकबई 0.102 हैक्टेयर व खसरा नं० 265 एकबई 0.405 हैक्टेयर कुल दो किता एकबई 0.9070 हैक्टेयर का 1/5 भाग अर्थात् 0.1014 हैक्टेयर खतौनी 1411 ता 1416 फसली जिसका फरीक अव्वल (विक्रेता) पूर्णतया स्वामी व विक्रयअधिकारी, संक्रमणीय भूमिधर दर्ज मालकागजात है, का बैनामा हाजा में विक्रय किया गया। विक्रीत भूमि मुझ फरीक अणल (विक्रेता) की पैतृक भूमि है जिसके मुझ फरीक अव्वल से पहले मेरे पिता स्व० श्री डककन पुत्र स्व० श्री भरता मालिक थे।

(2) विक्रीत भूमि कृषि भूमि है। जो किसी भी मुख्य मार्ग अथवा लिंक मार्ग पर स्थित नहीं है। भूमि मुख्य मार्ग से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है तथा संक्रमणीय भूमिधरी की भूमि है जिसका सरकारी सर्किल रेट 7,41,000/- रुपये प्रति हैक्टेयर है लेकिन इस विक्रय पत्र में सर्किल रेट के दोगुने से अधिक रु० 41,50,000/- रुपये प्रति हैक्टेयर की दर से अंकन 4,20,813/- रुपये (चार लाख बीस हजार आठ सौ दस हजार मात्र) मूल्य पर सरकारी स्टाम्प अदा किया गया है।

27/11/2019

Sage Promo

Authorised Signatory

100/100

विद्यार्थी पहचान के रूप में पात्र
एक ही दोपचन्द के रूप में
विद्यार्थी कचेंडा वास्पादा दत्त दादरी
० श्री शिव दत्त शर्मा
० श्री जगन्नाथ शर्मा के रूप में
विद्यार्थी दुरेयाद दत्त दादरी

26/5/06

26/5/06

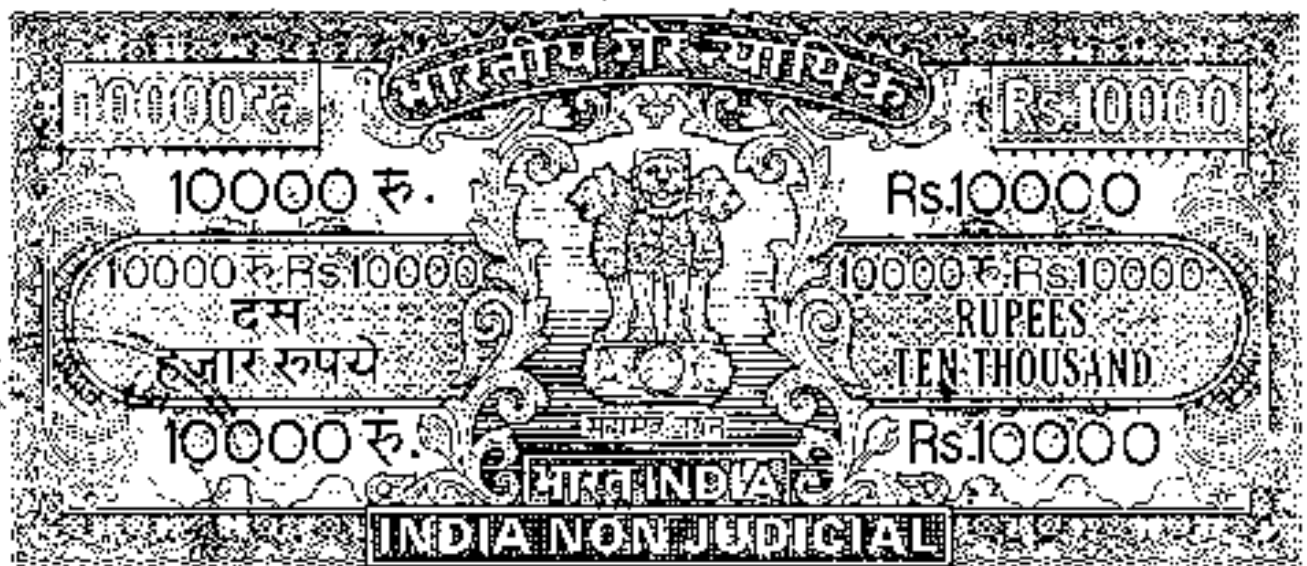


26/5/06



26/5/06

26/5/06



01AA 477790

(3)

(3) विक्रेता अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से नहीं है। विक्रेता ने श्रीमान् तहसीलदार महोदय से यह प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है कि यह अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से नहीं है।

(4) विक्रीत भूमि ग्राम समाज, भूदान, वस्फ, पट्टे आदि की भूमि नहीं है और न ही निष्कान्ति व शत्रु संपत्ति है और न ही इस पर कोई किसी प्रकार का विवाद है इस सन्दर्भ में विक्रेता ने संबंधित श्री मान् तहसीलदार महोदय से प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है। तथा विक्रीत भूमि किसी भी सरकारी अथवा अर्द्ध, सरकारी कार्य हेतु, अधिग्रहण के लिये अधिसूचित नहीं की गयी है।

(5) विक्रीत भूमि कृषि भूमि है जिसके विक्रय में स्टाम्प अधिनियम की धारा 27(1) का सत्यतापूर्वक अनुपालन किया गया है।

(6) यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि का पूर्व में मौखिक इकरारनामा श्री दोनों पक्षों के बीच हुआ था तथा विक्रय पत्र लिखे जाने की मौखिक सहमति हुयी थी जिसके अनुपालन में वर्तमान विक्रय पत्र का निष्पादन किया जा रहा है। तत्समय विक्रेता (फरीक अव्वल) ने बजरिये सिंडीकेट बैंक, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली, का चेक नम्बर 224574 दिनांकित 07.11.2005 अंकन 50,400/- रुपये (पचास हजार चार सौ रु० मात्र) दिनांक 07.11.2005 को अग्रिम में प्राप्त कर लिये थे।

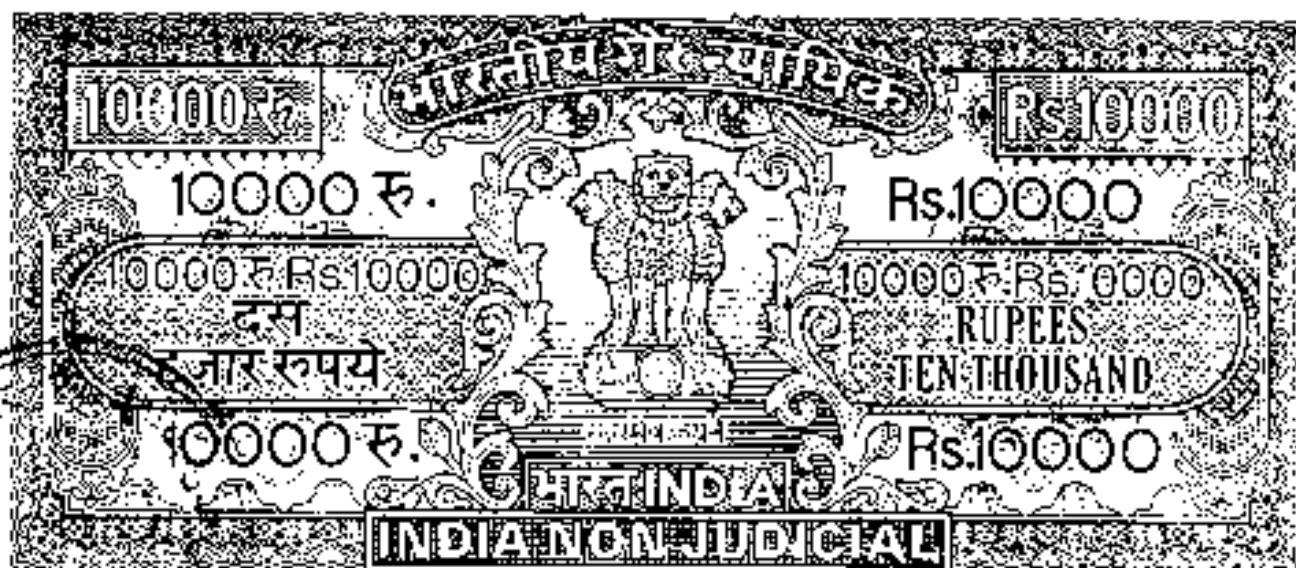
20/11/05 21/11/05

Sage Proma.

Authorised Signature

81 1000
75





(4)

(7) विक्रीत भूमि खाता नं० 50 के खसरा नं० 111क व 265 रकबई 0.3070 हैक्टेयर का 1/5 भाग अर्थात् 0.1014 हैक्टेयर, स्थित ग्राम दुर्याई परगना व तहसील दादरी जिला गीतम बुद्ध नगर को आज इस विक्रय पत्र के द्वारा विक्रय किया जा रहा है। अब विक्रीत भूमि उक्त में विक्रेता व उसके उत्तराधिकारीगण व वारिसान का कोई भाग व कुरा शेष नहीं रहा है।

(8) विक्रेता ने विक्रीत भूमि का प्रमाणित खसरा, खतौनी, व नक्शा व अपना जाति प्रमाण पत्र, पहचान पत्र व विक्रीत भूमि से संबंधित बारह साला प्रमाण पत्र भी विक्रय पत्र के साथ संलग्न किया है।

(9) विक्रीत भूमि उक्त आज दिन तक मुज फरीक अब्दुल (विक्रेता) की ओर से हर प्रकार के बन्धक भार व सरकारी देनदारी आदि से मुक्त है कही अन्य जगह आड, रहन, बय, हिबे, महायदाबय व जमानत सरकारी व अर्द्ध सरकारी व निजी रूप आदि में ग्रस्त नहीं है।

(10) विक्रीत भूमि उक्त पर कोई बैंक ऋण व दिजली या अन्य किसी प्रकार का ड्यूज भी नहीं है। इस विक्रय भूमि से संबंधित किसी भी प्रकार का धियाद-ग्रस्त मामला किसी भी मान्य न्यायालय व सरकारी व अर्द्धसरकारी विभाग/कार्यालय में न तो दर्ज है और न ही लम्बित है। और न ही किसी निर्णीत आदेश का क्रियान्वयन लम्बित है।

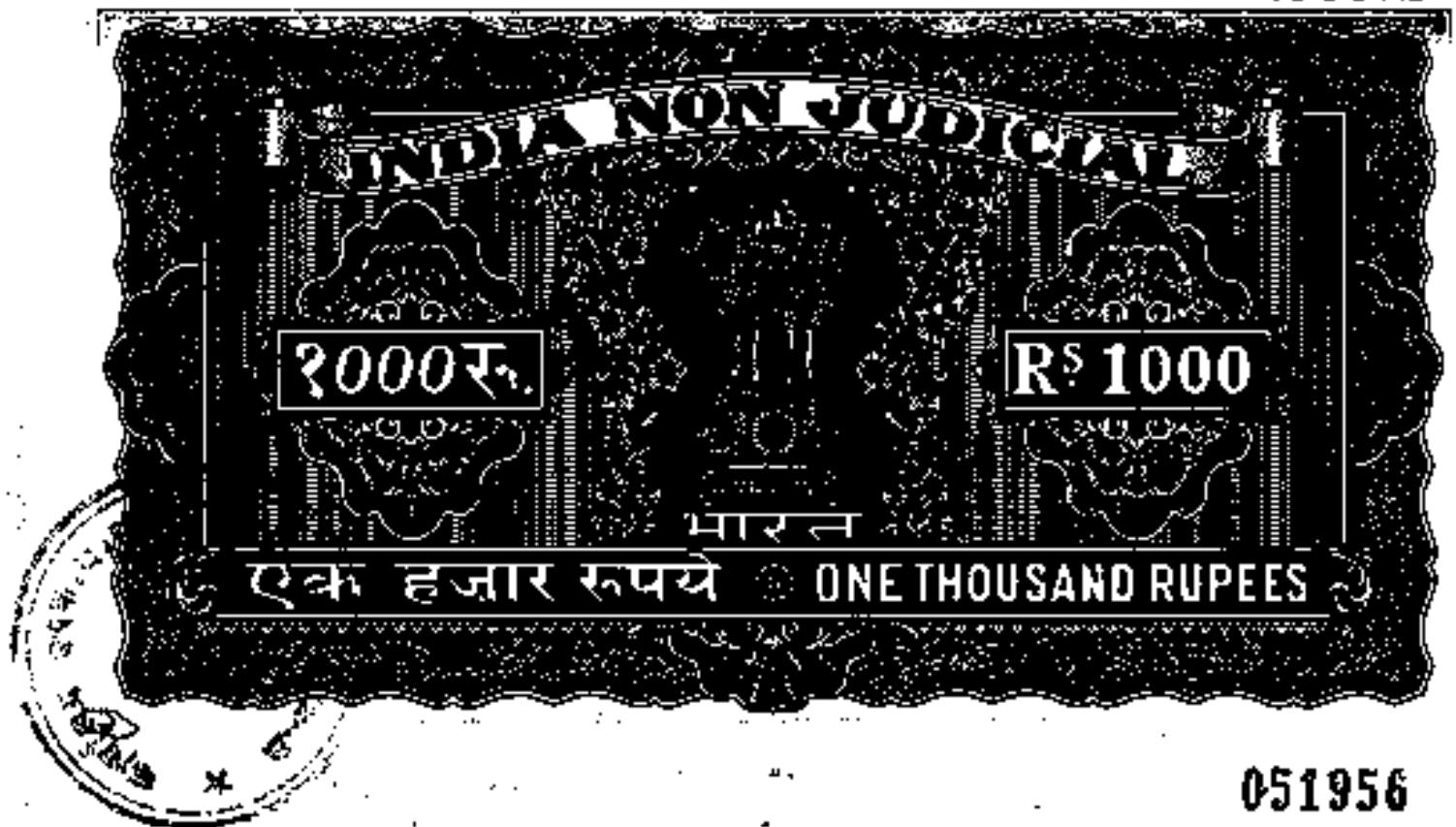
07/11/2011

Sage Prom...

Signature

2003
1000
म. शासित क्षेत्र
उप





051956

(11) विक्रीत मिलिकयत उक्त के विक्रय मे कोई दोश व त्रुटि नहीं है हर प्रकार के बाद विवाद से मुक्त है उपरोक्त वर्णित / उल्लिखित भूमि के संबंध मे मुझ विक्रेता ने किसी अन्य व्यक्ति, कम्पनी आदि के हक में कोई मौखिक करार, वसीयतनामा व विक्रय अनुबंध-पत्र, विक्रय पत्र, किसी भी कार्यालय में, पंजीकृत व अपंजीकृत, पूर्व में न तो निष्पादित किया है और न ही कराया है तथा न ही नोटरी द्वारा सत्यापित हुआ है। यदि भविष्य में इस संबंध में कोई भी वसीयतनामा, विक्रय अनुबंध/विक्रय पत्र प्रस्तुत करके विवाद उत्पन्न किया जाता है तो वह विवाद अमान्य व निष्प्रभावी होगा। तथा इसके जिम्मेदार फरीक अखल व उनके वारिसान होंगे।

(12) मुझ विक्रेता को विक्रय पत्र मे वर्णित उक्त खाता नं० 50 खसरा नं० 111क, 265 स्थित ग्राम दुर्गाई परगना व तहसील दादरी जिला गीतम बुद्ध नगर के अपने हिस्से के पूरा भाग को बेचने का स्वतंत्र अधिकार पूर्णतः प्राप्त है। मुझ विक्रेता को वास्ते तरक्की कारस्त एवं अन्य निजी आवश्यकता हेतु पैजों की आवश्यकता है तथा मुझे अपनी उक्त भूमि की उचित कीमत क्रेता से मिल रही है। अतः मुझ विक्रेता ने अपनी खुशी से बिना किसी दबाव व धमकाव के, बरजामंदी, शुद्ध बुद्धि व स्वस्थ इन्द्रियों की दशा में अपने पारिवारिक सहमति से मय समस्त अधिकार मालिकाना, काबिजाना, दाखिले-खारिजी, कारस्त मराई, हर किस्म कब्जा गर्ज के जो कुछ भी अधिकार मुझ विक्रेता को विक्रीत भूमि से प्राप्त थे उससे कुछ बचा हुआ नहीं रहा है आदि आदि को आज की तारीख में विक्रय धनराशी अंकन 4,20,810 रुपये (चार लाख बीस हजार आठ सौ दस रुपये मात्र) जिसके आधे अंकन 2,10,405/- (दो लाख दस हजार चार सौ पांच सौ रुपये मात्र) रुपये होते हैं के एवज में हाथ फरीक दायम केला उपरोक्त मैसर्स एसएजीई प्रमोटर्स एण्ड डेवलपर्स

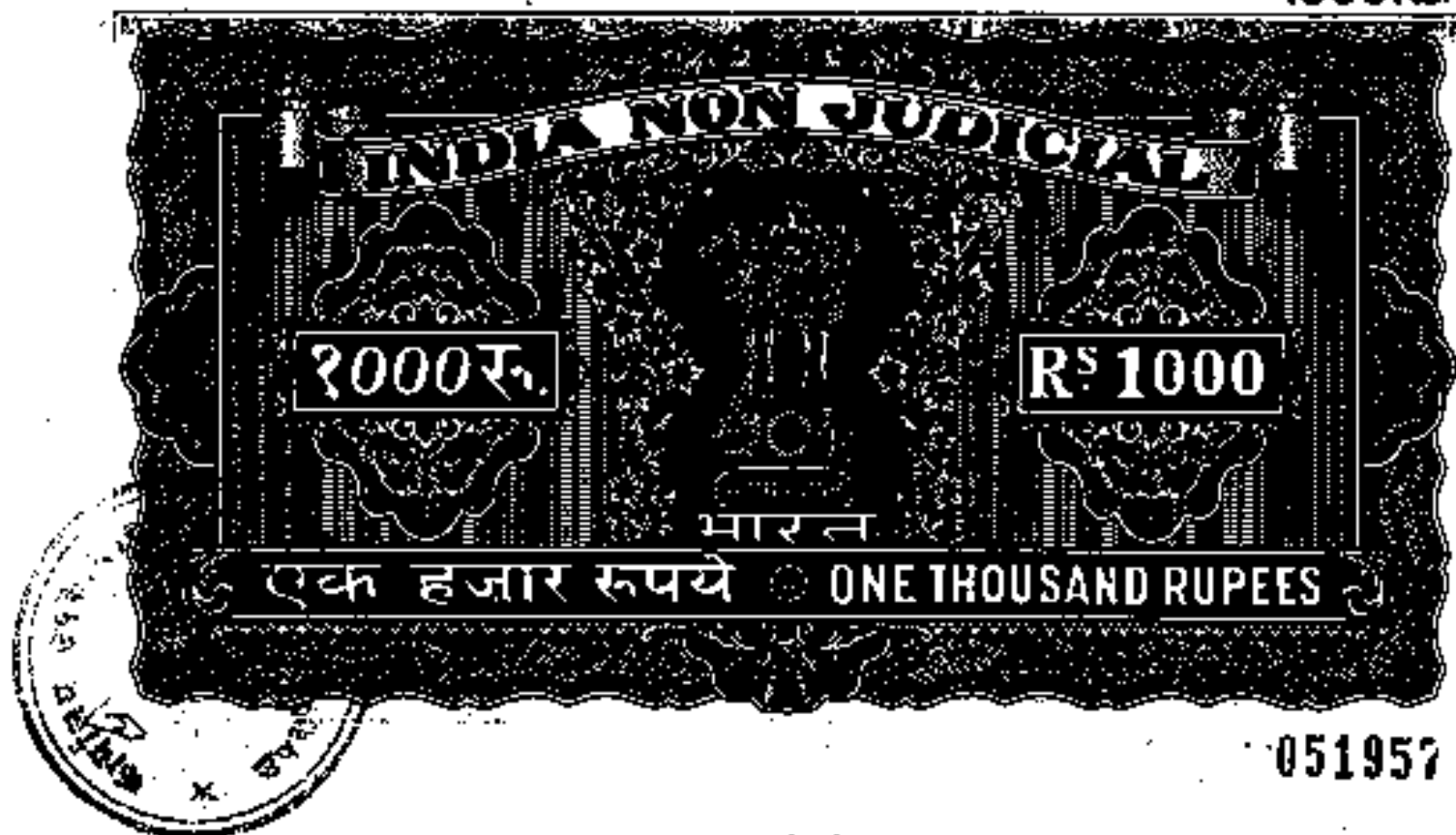
Sage Promo.

Sage Promo.

Authorized Signatory.

दादरी
 2011/11/20
 नमून सं. 03/11/2011
 रजिस्ट्रार नं. 03/11/2011 में शामिल किया गया
 उप. रा. 03/11/2011





051957

(6)

प्र० लि० पंजीकृत कार्यालय 33 कम्युनिटी सेंटर, एन. एफ. सी नई दिल्ली, द्वारा श्री रोहित शर्मा पुत्र स्को श्री जे० आर० शर्मा, ६ए, सिप्रा सनसिटी, गायिजादाद अधिकृत हस्ताक्षरी द्वितीय पक्ष को देय कर दिया है यानि कतई बेच दिया है और भूमि की कुल विक्रय घनराशि मुझ विक्रेता ने क्रेता से प्राप्त कर लिया है। अब कुछ भी विक्रय घनराशि बाकी नहीं रही है।

(13) विक्रय भूमि का कब्जा मौके पर क्रेता का पूर्ण वास्तविक रूप से कर दिया है जिसके क्रेता पूर्णतः मालिक काबिज दखिल बन गये है उनको सर्वथा अधिकार है कि वह उक्त भूमि को जिस प्रकार चाहे बहसियत मालकाना प्रयोग में लावे।

(14) विक्रेता, विक्रीत भूमि के बाबत समस्त कागजात में बजरिये बैनाम दाखिल खारिज मालकगजात में कराकर क्रेता का नाम दर्ज करवायेगा या वो स्वयं दर्ज करवा सकते है तथा आय एक प्रपत्रों पर जहाँ चाहे हस्ताक्षर मुझ फरीक अव्वल से करा सकते है, मुझ फरीक अव्वल को कोई एतराज नहीं होगा।

(15) अतः अब विक्रय परचात विक्रीत भूमि की मिलकियत नुम्मे में निहित हित व उसके मुख्य धन तथा किसी अंश से विक्रेतात्व मरिसान विक्रेता का, अब कोई संबध बाकी नहीं रहा और न कभी रहेगा।

27/10/2014 2/14/14

Sage Promos

Authorized Signatory

29 Nov 66

सहस्र नं० १५५, स० १५५, १५५, १५५
सहस्र नं० १५५, स० १५५, १५५, १५५



भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु. 50



FIFTY
RUPEES

Rs. 50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 360773

(7)

(16) विक्रीत भूमि पर आज दिन तक फरीक अव्वल/विक्रेता की ओर कोई भार निकला ओर निकल हुआ भार क्रेता या स्थानापन को अपने पास से उदा करना पड़ा अथवा विक्रेता के अनाधिकार से या वारिसान विक्रेता की दावेदारी या किसी कानूनी नुक्स आदि से विक्रय भूमि कुल अथवा उसका कोई अंश क्रेता या उसके वारिसान या स्थानापन के कब्जे मालकाना से निकल जाये, तो हर ऐसी वशा के उत्पन्न होने पर फरीक अव्वल/ विक्रेता व उसके उत्तराधिकारीगण पूर्ण रूपसे जिम्मेदार होंगे तथा क्रेता व उसके स्थानापन व उत्तराधिकारीगणों को पूर्ण अधिकार होगा कि अपने पास से अदा किये गये भार की तथा कब्जे से निकल जाने वाली भूमि की धनराशी को मय हर्ज खर्च प्रथम पक्ष विक्रेता व विक्रेता वारिसान की चल व अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार चाहे यसूल करा सकते हैं जिस पर फरीक अव्वल/विक्रेता को कोई आपत्ति नही होगी।

(17) यह कि फरीक अव्वल ने विक्रीत भूमि के स्वामित्व से संबंधित सभी मूल दस्तावेज(मूल बैन, मा पूर्ण अखंता, दान, पत्र, विसीयत, मूल पट्टा, व न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रति आदि) जो विक्रेता के पास उपलब्ध है, उन्हें क्रेता को सौंप दिया है।

(18) विक्रय पत्र का समस्त खर्चा क्रेता ने वहन किया है।

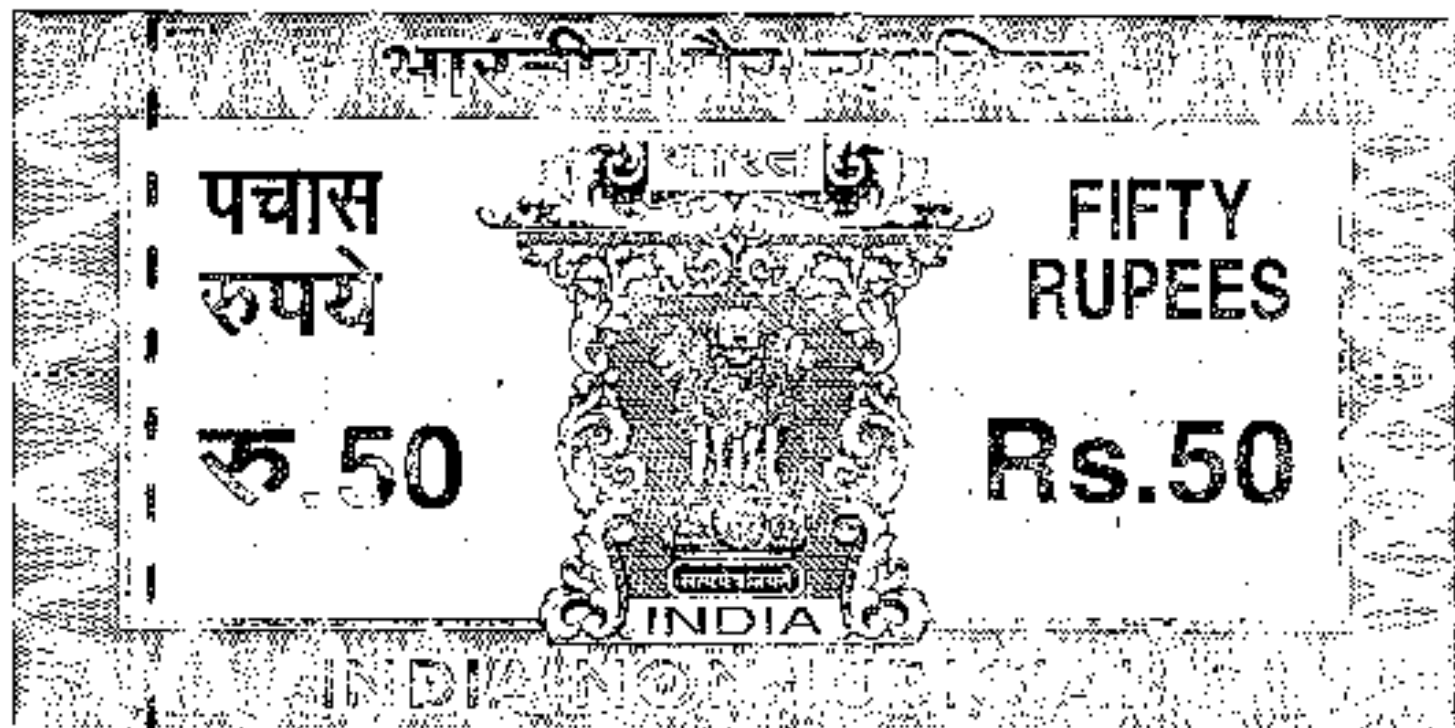
(19) अतः यह विक्रय पत्र खूब सोच समझ कर, सुनकर पढ़ कर गवाहों की उपस्थिति में लिख दिया गया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवें।

Sage Print

Authentic Copy

कार्यालय उप दफ्तार
 दादरी
 25/11/2013
 स्टांप नं. 0.5/13 मे सादर
 डा. सी. (१६)





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 360774

(8)

(20) विक्रेता ने विक्रीत भूमि रकबई 0.1014 हैक्टेयर, खाता नं० 50 खसरा नं० 111क व 265 स्थित ग्राम दुरवाई परगना व तहसील दादरी जिला गौतम बुद्ध नगर के निमित्त निम्न विवरण के अनुसार विक्रय धनराशी प्राप्त कर ली है:-

(अ) बैंक सिंडीकेट बैंक शाखा नेहरू प्लेस नई दिल्ली बैंक नं० 224574 दिनांक 07.11.2005 की राशि रु० 50,400/- (पचास हजार चार सौ रु० मात्र) फरीक अक्कल द्वार अग्रिम रूप से प्राप्त कर ली गयी है।

(ब) बैंक सिंडीकेट बैंक शाखा नेहरू प्लेस नई दिल्ली बैंक नं० 070058 दिनांक 21.02.2006 की राशि रु० 54,600/- (पचास हजार छः सौ रु० मात्र) फरीक अक्कल द्वारा आंशिक रूप से प्राप्त कर ली गयी है।

[Handwritten signature]

Sage

[Handwritten signature]



कायालय उप कोषागार

दादरी

25/11/20

प्रमाण नं० २५६ को. पु. ज. दादरी
स्थाप्य नं० २५६ में प्रमाणित किया गया
दिनांक २५/११/२०



(9)

(स) बैंक कोटक सहिद्रा बैंक लि० शाखा न्यू फ़ैन्डस कालोनी, नई दिल्ली बैंक नं० 000025 दिनांक 23.5.2006 की राशि रू० 3,15,810/- (तीन लाख पन्द्रह हजार आठ सौ दस रुपए मात्र) द्वारा फरीक अख्तियार ने अब अंतिम एवं सम्पूर्ण धनराशि प्राप्त कर ली गयी है ।

अनामक 21/11/06
(हस्ताक्षर/निष्पत्ती अंगूठा)
फरीक अख्तियार

अनामक
(हस्ताक्षर/निष्पत्ती अंगूठा)
फरीक अख्तियार

गवाह नं० 1

गवाह नं० 2

श्री अनामक पुत्र श्री दीपक
निवासी ग्राम अनामक परगना--क--
तहसील अनामक
जिला अनामक

श्री अनामक पुत्र श्री अनामक
निवासी ग्राम अनामक परगना--क--
तहसील अनामक
जिला अनामक

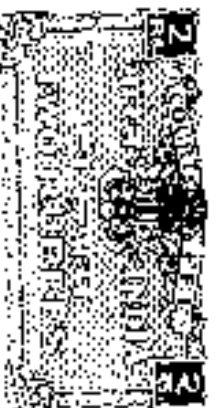
तहरीर दिनांक : 26/11/06
मसौदाकर्ता

नही नम्बर-४ एडवाइस जिल्द तह 17 वीं के वृत्त डा 7 के नम्बर 67/5
 324
 यह आज दिनांक 26/5/06 को रजिस्ट्री की गई।
 जिल्द रजिस्ट्रार
 बाबरी



शेजा में.

श्रीमान लक्ष्मीलाल शर्मा
कावटी ।



विषय: सामान्य जाति प्रमाण-पत्र बनवाने के सम्बन्ध में ।

महोदय जी,

१३/१२/२०१६
६.१३.१६

जिसेवन बट है कि मैं सामान्य जाति

पुत्र/पुत्री श्री लक्ष्मीलाल शर्मा निवासी कावटी

पटवना श्री लक्ष्मीलाल शर्मा

जिला पुणे का रहने वाला/रहने वाली हूँ । मेरी

जाति ब्राह्मण है जो सामान्य जाति के अन्तर्गत आती है। मुझे

जाति प्रमाण पत्र की अति आवश्यकता है। मुझे सामान्य जाति
प्रमाण-पत्र का प्रमाण-पत्र देकर मुझे सामान्य जाति प्रमाण देना

आवश्यक



लक्ष्मीलाल शर्मा

१३/१२/२०१६

प्रार्थी/प्रार्थिका

नाम लक्ष्मीलाल शर्मा

पिता का नाम लक्ष्मीलाल शर्मा

पृष्ठ १-१६

श्रीमान् जी,

आजकाल के दौर में यह एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है।
यदि हम इसे न देखेंगे तो हमारे ही हितों का
हानि होगा। हमें इसे समझना होगा।

आपका
22-13/106

महोदय

10/10

श्रीमान् जी, (सामान्य)

न. नं. 10-10/106

सत्यप्रिय/मोहित

आपका विश्वसनीय मित्र
आपका विश्वसनीय मित्र

सेवा में,

शिक्षा प्रमुख,
पी.एन.सी. गादरी

विषय : अनापत्ती प्रमाण पत्र (एनओ सीओ के सम्बन्ध में) ।

महोदय,

श्रीमान जी से निवेदन है कि मुझ प्रार्थी / प्रार्थीगण ने अपनी भूमि जिसका खाता सं. 529 खसरा नं० 144, 145 एवं 1-4-5 स्थित ग्राम दुहौरा परगना दौहरी तहसील गादरी जिला मोहिबख्श नगर । मुझ प्रार्थी को उपरोक्त भूमि, भी० उत्पल चढ़दा रॉड टेक डेवेलपर्स एवं एनओ के अभाव में इस कारण कम्पनी को बैंक से अनापत्ती प्रमाण पत्र (एनओ ओओ सीओ) की आवश्यकता है कि मुझ प्रार्थी की भूमि पर कोई ऋण नहीं है ।

अतः आप से निवेदन है कि मुझ प्रार्थी को अनापत्ती प्रमाण पत्र (एनओ ओओ सीओ) प्रदान करने की कृपा करें ।

धन्यवाद

प्रार्थी

प्रो. एन. सी. गादरी

रजि. नं० 144, 145, 1-4-5

22/11/20

सेवा में,

राष्ट्र प्रबन्धक
पी.एन.जी. कार्यालय

विषय : अनापत्ती प्रमाण पत्र (एनओ सी.) के सम्बन्ध में

गद्दीदर,

श्रीमान जी से निवेदन है कि मुझ पत्नी / प्रार्थीगण ने अपनी भूमि निम्नका
खाता सं खसरा नं० 118, 119, 120 जिला ग्राम
परगना तहसील जिला जिला
प्रार्थी को उपरोक्त भूमि में आपल चढ़ावा एवं देक देवतापसं प्रा० लि० को बेचना है ।
इस कारण कम्पनी को बैंक से अनापत्ती प्रमाण पत्र (एनओ सी.) की आवश्यकता
है कि मुझ प्रार्थी की भूमि पर कोई ज़रा नष्ट है ।

अतः आप से निवेदन है कि मुझ प्रार्थी को अनापत्ती प्रमाण पत्र (एनओ सी.)
प्रदान करने की कृपा करें ।

धन्यवाद

प्रार्थी



राष्ट्र प्रबन्धक
पी.एन.जी. कार्यालय
गद्दीदर

Sham

सेवा में,

शाखा प्रबन्धक
उ. म. रा. कार्गो प्रभाग निवास क्षेत्र
द्वारा रा. कार्गो प्रभाग

विषय : अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन० ओ० सी०) के सम्बन्ध में ।

महोदय,

श्रीमान जी से निवेदन है कि मुझ गार्ड / प्राथमिक ने अपनी भूमि जिसका खता सं. १८८० धनरा नं० १४४४४४४४ १-५-० स्थित ग्राम दुल्लोहा परगना दुल्लोहा तहसील दुल्लोहा जिला मोहम्मदपुर । मुझ प्राथी को उपरोक्त भूमि, १०० उप्पल बट्ठा १६६ टेक डेवलपमेंस प्रा० लि० को बेचना है । इस कारण कम्पनी को बैंक से अनापत्ती पत्र (एन० ओ० सी०) की आवश्यकता है कि मुझ प्राथी की भूमि पर कोई ऋण न रहे ।

अतः आप से निवेदन है कि मुझ प्राथी को अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन० ओ० सी०) प्रदान करने की कृपा करें ।

सन्ध्यावाद

प्राथी



प्रति, शाखा प्रबन्धक
उ. म. रा. कार्गो प्रभाग निवास क्षेत्र
द्वारा रा. कार्गो प्रभाग

[illegible]

[illegible]

उद्धरण खतौनी

(अनुसूची 2 का अनु. 1)

ग्राम क्रमांक : 710201150887

ग्राम का नाम : दुग्गाड

परगना : दादरी

तहसील : दादरी

जनपद : गाँतमचन्द्रनगर

फसली वर्ष : 1411-1416

भाग : 1

ग्रामा ग्रामांतो का संख्या	ग्रामदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवासी स्थान	भूमिगत अधिकार प्राप्ति होने का फसली वर्ष	ग्राम के ग्राम्य गाँव की ग्राम्य संख्या	ग्राम्य गाँव का क्षेत्रफल (हे.)	ग्रामदार काता देय पानागुजारी या लगान	संश्लेषण संपत्ति, भागा या भूमिगत संश्लेषण वृत्तों संख्या तथा दिनांक सहित और भागा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
श्रेणी : 1-क ग्राम या संपत्ति (2) भूमिगत अधिकार न हो									
001050	ग्रामदार	इकान	न. ग्राम	११३९५	111	0.1020	आइएनएस २००६ के अनुसार ग्राम १५०६३	ग्रामदार	
	संरक्षक	इकान	न. ग्राम	११३९५	223	0.0760	3-8-2006 के अनुसार ग्राम १५०६३, 59 के अनुसार		
	संरक्षक	इकान	न. ग्राम	११३९५	224	0.0690	111 के अनुसार 102 हे. 265 0.405 हे. कुल 2 हे. 670 507		
	संरक्षक	इकान	न. ग्राम	११३९५	265	0.4050	हे. का 1.5 हे. 0.102 हे. के अनुसार ग्राम १५०६३		
	संरक्षक	इकान	न. ग्राम				वि. ग्राम का नाम ग्राम १५०६३ के अनुसार ग्राम १५०६३		
							ग्राम १५०६३ के अनुसार ग्राम १५०६३ के अनुसार		
							3.3 के अनुसार ग्राम १५०६३ के अनुसार ग्राम १५०६३		
							संरक्षक ग्राम १५०६३ के अनुसार ग्राम १५०६३		
							ग्राम १५०६३ के अनुसार ग्राम १५०६३		
							6-10-2006		
					4	0.6520	40.10		

हस्ताक्षर

...